न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-113RAAJodhpur2024-49RTA223 Saleem Mohmmad etc

01. सलीम मोहम्मद पुत्र छोटू खॉ जाति तेली, निवासी-ग्राम धनारी कला, तहसील बावडी जिला जोधपुर।
02. सईदा पुत्री छोटू खॉ, पत्नी मुनीर जाति तेली निवासी रूण तहसील मुण्डवा जिला नागौर।
03. मोहम्मद रसीद पुत्र इकबाल
04. बाबू पुत्र इकबाल
05. चन्दा पुत्री इकबाल
06. मुन्नी पत्नी इकबाल

सभी जातियान तेली ग्राम धनारी कला तहसील बावडी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

बनाम

1. रमजान पुत्र छोटू खॉ जाति तेली. निवासी-धनारी कला, तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।
2. सलान पुत्र अजीज खॉ,
3. शहनाज पुत्री अजीज खॉ
4. शमीम पुत्री अजीज खॉ
5. नसीम पुत्री अजीज खॉ

सभी जाति मुसलमान निवासी-धनारी कला तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बावड़ी जिला जोधपुर।
7. खातुन पुत्री छोटू खॉ पत्नी अब्बास, जाति तेली, निवासी-रूण, तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर बावड़ी राजस्व मूल वाद संख्या 28/2022 रमजान बनाम सली मोहम्मद इत्यादि

उपस्थित-

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री घेवरराम विश्नोई श्री ईश्वरसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 व 07
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 06

नि र्ण य

दिनांक : 18 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 28/2022 अनवान रमजान बनाम सलीम मोहम्मद इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 27 मार्च 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम धनारी कुलां, तहसील बावड़ी के खेत खसरा संख्या 497 रकबा 2.0387 हैक्टेयर, खसरा नंबर 497/2 रकबा 2.1034 हैक्टेयर, खसरा नंबर 498 रकबा 3.1389 हैक्टेयर, खसरा नंबर 500 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नंबर 501 रकबा 2.2571 हैक्टेयर कुल रकबा 9.6109 हैक्टेयर भूमि के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23 सितंबर 2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जुलाई 2023 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना रजिस्टर्ड ए.डी. डाक की पोस्टल रसीदात के आधार पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद की सुनवाई का कोई नोटिस अपीलार्थीगण को नही दिया गया एवं न अपीलार्थीगण को कोई नोटिस कभी मिला। पत्रावली पर जो विभाजन प्रस्ताव पेश होना बताया गया है, वह तमाम कार्यवाही अपीलार्थीगण को बिना सुने एवं बिना नोटिस दिये की गई है। उक्त विभाजन प्रस्ताव भी नियमों की पूर्णरुप से अवहेलना करते हुए तैयार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय केवल रेस्पो. संख्या एक को महत्व दिया जाकर मुख्य सड़क वाला समस्त भाग प्रत्यर्थी संख्या एक को दे दिया गया है। अपीलांट्स को विचारण न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने से वे विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख सके। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के अधिवक्ता को को सुने बिना ही तथा उनकी उपस्थित होने के बावजूद उन्हें सुनवाई का अवसर नही दिया तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाकर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जबकि अपीलार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा उनकी सुनवाई नही होने के कारण उन्हें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कतई जानकारी नहीं थी। अपीलार्थीगण अपने खेत में कार्य कर रहे थे, तभी प्रत्यर्थी संख्या 1 मौके पर आया तथा उन्हे खेत अवेरने से मना किया तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

धमकी दी कि वे उन्हें बेदखल कर कब्जा कर लेंगे, उन्होने उपखण्ड अधिकारी से आदेश करवा लिया। जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया नकल तैयार होने में देरी होने से निर्णय एवं डिक्री की फोटो प्रति प्राप्त कर पढने पर दिनांक 27-3-2024 को प्रथम बार जानकारी हुई, जिस पर अपीलार्थीगण ने दिनांक 27-03-2024 को जोधपुर आये तथा यह अपील तैयार करवाकर जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलाण्ट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 28/2022 अनवान रमजान बनाम सलीम मोहम्मद इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25 जुलाई 2023 को अपास्त किया जावे तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर मामला विधिनुसार पुनः निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई है। अपीलांट्स पर सम्यक तामील होने के बावजूद अपीलांट्स अथवा उनके अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20/9/2022 को अपीलांट्स के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी तहसीलदार बावड़ी से बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार बावडी द्वारा मौका देखने से पूर्व अपीलांट सलीम को नोटिस जारी किया गया तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उक्त नोटिस दिनांक 17/1/2023 अपीलांट पर सम्यक रूप से तामील हुआ है। तहसीलदार बावड़ी द्वारा नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव विधिुनसार तैयार किया है। तहसीलदार से प्राप्त उक्त नोटिस तामील होने से अपीलांट्स को दावे के विचाराधीन रहते की पूर्ण जानकारी हो चुकी थी। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में मिथ्या कथन किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट खातुन/रेस्पो. संख्या सात द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावे की पूर्ण जानकारी होने के कथन किये गये है। अपीलांट्स द्वारा दावे के सम्मन तामील होने की जानकारी को छुपाया गया है तथा कूटरचित व झूठा शपथ परा पेश किया है जो कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे एवं अपीलांट्स के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही किये जाने का आदेश फरमावे। वकील रेस्पो. द्वारा अपनी बहस के समर्थन में ए.आई.आर. 1998 एस.सी. पेज 2276, 1997 आर.आर.डी. पेज 350, 1999 आर.आर.डी. पेज 152, 2009 आर.आर.डी. पेज 195, 1998 आर.आर.डी. पेज 465, 1999 आर.आर.डी. पेज 362, 1982 आर.आर.डी. पेज 332, 1999 आर.आर.डी. पेज 173, 1979 आर.आर.डी. पेज 23, 1998 आर.आर.डी. पेज 319 की न्यायिक नजीरे पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना प्रस्तुत पोस्टल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रसीदात के आधार पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के तकनीकी बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18.01.2023 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार बावड़ी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के बजाय भू-अभिलेख निरीक्षक नांदिया खुर्द एवं पटवारी हल्का धनारी कलां द्वारा नियम विरुद्ध तैयार किया जाना पाया जाता है तथा तहसीलदार बावड़ी द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर काउंटर हस्ताक्षर किये गये है। भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा विभाजन प्रस्ताव में नियमानुसार सभी पक्षकारान् को सड़क पर समानुपात में भूमि नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नियम विरुद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि विरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बावड़ी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 28/2022 अनवान रमजान बनाम सलीम मोहम्मद इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जुलाई 2023 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष की उपस्थित में नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए तहसीलदार बावड़ी से विभाजन प्रस्ताव तलब कर उस पर उभय पक्ष को आपत्तियॉ प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार वाद का निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर